

2108

हिमाचल प्रदेश सरकार
वन विभाग

File No.- FFE-B-F(2)-3/2013

Order

Dated Shimla-171002, the

Sub:- Diversion of 2.4914 hectare of forest land in favour of M/s DLI Power (India) Pvt. Ltd, for the construction of 4.5 MW Rajpur Hydro Electric Project on Nogli Khad at Village Rajpur, within the jurisdiction of Rampur Forest Division, Distt. Shimla, Himachal Pradesh.

- 1 भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय चण्डीगढ़ द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा-2 के अन्तर्गत जारी स्वीकृति पत्र संख्या 9-HPB452/2010 - CHA दिनांक 31-05-2013 के परिणामस्वरूप राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश द्वारा M/s DLI Power (India) Pvt. Ltd, के प्रस्ताव में 4.5 MW के स्थान पर 9.9 की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है।
- 2 भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय चण्डीगढ़ द्वारा पूर्व में जारी स्वीकृति पत्र संख्या 9-HPB452/2010 - CHA दिनांक 03-10-2011.
- 3 नोडल आफिसर एवं अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (FCA) हिमाचल प्रदेश, शिमला के पत्र संख्या Ft.48-2108/2010 (FCA) दिनांक 23.05.2013 के माध्यम से भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय चण्डीगढ़ को बताया कि प्रयात्ता एजेंसी द्वारा प्रस्ताव की क्षमता को 4.5 MW के स्थान पर 9.9 MW के लिए अनुमति की मांग की गई है व प्रस्तावित वन भूमि में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
- 4 अब भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय चण्डीगढ़ द्वारा पत्र संख्या 9-HPB452/2010 - CHA दिनांक 31-05-2013 के माध्यम से उपर्युक्त उद्देश्य हेतु प्रस्ताव की क्षमता को 4.5 MW के स्थान पर 9.9 MW के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है।
- 5 भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय चण्डीगढ़ द्वारा पूर्व में जारी पत्र संख्या 9-HPB452/2010 - CHA दिनांक 03-10-2011 में जारी सभी शर्तें पूर्ववत् रहेंगी।

आदेश अनुसार

प्रधान सचिव (वन)

हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला -2

Dated, Shimla-171001 the, 6-7-13.

Endst. No FFE-B-F(2)-3/2013 (FCA)

Copy is forwarded to :-

1. Assistant Inspector General of Forests, MoEF, Paryavaran Bhawan, C.G.O. Complex, Lodhi Road, New Delhi - 110510.
2. Additional PCCF (Central), Regional Office, Govt. of India, Ministry of Environment and Forests, Bays No.24- 25, Sector-31 -A, Chandigarh- 160030.
3. The Pr.CCF (HoFF) with the request to ensure compliance of all conditions contained in the above order.
4. The Nodal Officer -cum- Addl. Pr. CCF (FCA), Forest Department, Himachal Pradesh, Shimla-171001

APCCF (FCA)

PCCF
///17108
15/7/13

5. The Deputy Commissioner, Shimla, Distt, Shimla, Himachal Pradesh .
6. M/s DLI Power (India) Pvt. Ltd, House No. 16, HP Officer Colony (West End)
Panthaghati, Shimla Himachal Pradesh.
7. CCF, Rampur /DFO, Rampur, Distt. Shimla, HP.
8. Guard File.


**Under Secretary (Forests) to the
Govt. of Himachal Pradesh.**